समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या **38** **सन् 2022**

इन

ओ.ए. संख्या **165** **सन 2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

इंडेक्स

क्र. संख्या	**विवरण / ब्यौरे**	पृष्ठ
01.	स्थगन प्रार्थनापत्र	
02.	लक्ष्मी तालाब के कंक्रीट नुमा विकास / सौन्दर्यीकरण का कार्यों की फोटो	
03.	लक्ष्मी तालाब की टोपोशीट इमेज (भारतीय सर्वेक्षण विभाग)	
04.	लक्ष्मी तालाब की सैटेलाइट इमेज (गूगल अर्थ) मई 2006	

दिनांक 25.03.2023

आवेदनकर्ता

(नरेन्द्र कुशवाहा)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या **38** **सन् 2022**

इन

ओ.ए. संख्या **165** **सन 2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

स्थगन प्रार्थनापत्र

श्रीमानजी,

निवेदन है कि झांसी प्रशासन और झांसी नगर निगम के द्वारा 33.068 हेक्टेयर के प्राचीन लक्ष्मी तालाब का मूल स्वरूप बिगाड़ते हुए, तालाब की जलमगन रहने वाली भूमि पर कंक्रीट नुमा तालाब के अन्दर चारो ओर पाथ वे, सेल्फी प्वाइंट, प्रतिमा स्थापना स्थल आदि के विकास/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराकर तालाब के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है, जो जल अधिनियम और वायु अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। यह कार्य लक्ष्मी तालाब के अतिक्रमण एवं अतिक्रमणकारियों को बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मई 2006 की गूगल सैटेलाइट इमेज एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वर्ष 2011 की टोपोशीट में स्पष्ट दिख रहा है कि लक्ष्मी तालाब पानी भरा हुआ है, तालाब की जलमगन रहने वाली उक्त भूमि के अंदर किये जा रहे इन विकास/सौन्दर्यीकरण कार्यों से तालाब के जल भराव में लगभग 50% की कमी आ जायेगी। जिससे तालाब के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर और भूमिगत जल के पुनर्भरण की प्रक्रिया प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आस–पास के क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट आने के साथ साथ जीव–जन्तुओं के लिए घातक सावित होगा, तथा लक्ष्मी तालाब के इन विकास/सौन्दर्यीकरण कार्यों को सीघ्र रुकवाया जाना और लक्ष्मी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर मूल स्वरूप में विकसित किया जाना अतिआवश्यक है।

याचिकाकर्ता द्वारा मूल **ओ.ए.** संख्या **165/2021** में प्रेषित आपत्ती दिनांक 12.07.2022 के पैरा 4 में उक्त विकास/सौन्दर्यीकरण कार्यों को रुकवाने का भी आग्रह किया जा चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि, "तालाब, पोखर, गढ़ही, नदी, नहर, पर्वत, जंगल और पहाड़ियां आदि सभी जल स्रोत पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं इसलिए पारिस्थितिकीय संकटों से उबरने और स्वस्थ पर्यावरण के लिए इन प्राकृतिक देनों की सुरक्षा करना आवश्यक है। ताकि सभी संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए अधिकारों का आनंद ले सकें।"

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि झांसी प्रशासन और झांसी नगर निगम के द्वारा लक्ष्मी तालाब का मूल स्वरूप बिगाड़ते हुए, तालाब की जलमगन रहने वाली भूमि पर पाथ वे, सेल्फी प्वाइंट, प्रतिमा स्थापना स्थल आदि के विकास/सौन्दर्यीकरण कार्यों रोकने एवं हटाने का आदेश पारित करने एवं लक्ष्मी तालाब का मूल स्वरूप बिगाड़ने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धान्त (Pollulor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत कार्यवाही करने के साथ साथ पर्यावरण एवं न्यायहित में अन्य कोई कार्यवाही जो माननीय न्यायाधिकरण सही तथा उचित समझे कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 25.03.2023

आवेदनकर्ता/याचिकाकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा)
निवासी– पिछोर म.ल.बा. मेडिकल कॉलेज के पीछे,
नारायण बाग के पास झांसी, उत्तर प्रदेश, (284128)
मो 9452041529

Samādhi
chauki
DARHIYĀPURA
Police chauki
PO
Lakshmi
Tāl
Samādhi
JHĀNSI
TĀLPURA

5/2006
Laxmi Talab